फा.सं. ए.12028/02/2023-डीआरएस

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 06 फ़रवरी, 2023

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक औषध निरीक्षक के पद के भर्ती नियम में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमो का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया bikash.mahato@nic.in पर भेजी जाएं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहातो)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:- 011-23061141

अधिसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक औषध निरीक्षक	72* (2023) *कार्यभार में भिन्नता के शर्ताधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह -'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक न हो। टिप्पणी 1: केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा आदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट टिप्पणी 2.: आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
अनिवार्य: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से क्लिनीकल फार्माकॉलोजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता सहित फार्मेसी या फामास्यूटिकल साईंस या मेडिसिन में डिग्री	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा तथा	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति /	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा।		
(10)	(11)	(12)	(13)
100% सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	सुथायीकरण पर विचार करने हेतु समूह ख विभागीय सुथायीकरण समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. औषध नियंत्रक (भारत)- अध्यक्ष 2. उप औषध नियंत्रक (भारत), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय- सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए.12028/02/2023-डीआरएस]

(बिकाश आर माहातो)
अवर सचिव, भारत सरकार